विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान
पश्चिम बड़ागाव, गड़चुक
गुवाहाटी-781035

अकादमिक नियम और विनियम

1. अकादमिक स्टाफ के अंतर्गत शोधार्थियों की संख्या निम्नलिखित है:

क्रम सं	पद	कोर निधि	बाह्य परियोजना	कुल
1	प्रोफेसर- II और प्रोफेसर- I	3	5	8
2	सहयोगी प्रोफेसर- II	2	5	7
3	सहयोगी प्रोफेसर- I और सहायक प्रोफेसर- II	2	3	5

2. सामान्य पीएच.डी कार्यक्रम के विनियम:

क) यह विनियमन संस्थान के पीएचडी कार्यक्रम में उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले छात्रों के प्रवेश को सुनिश्चित करेगा। कार्यक्रम में भाग लेने हेतु न्यूनतम आवश्यकता सीएसआईआर, आईसीएआर, डीबीटी, आईसीएमआर या डीएसटी के इंस्पायर फैलोशिप कार्यक्रम द्वारा आयोजित नेट की योग्यता है। पीएचडी छात्रों के चयन के लिए, एक चयन समिति निर्मित होगी जिसमें अकादमिक समिति के सदस्य, पर्यवेक्षक और बाहरी विशेषज्ञ शामिल होंगे। निदेशक इस चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।

यदि पर्याप्त सीएसआईआर/आईसीएआर/ डीबीटी/ आईसीएमआर/ इंस्पायर छात्र न हो तो विशेषज्ञ पैनल के साक्षात्कार और आई.ए.एस.एस.टी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले अन्य उम्मीद्वारों को पीएच.डी कार्यक्रम के लिए गृहीत किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा की रूपरेखा विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा और नेट के समान होगी। प्रश्न पत्र अनुशंसित शिक्षाविदों/उच्च प्रतिष्ठित संस्थानों से संबंधित वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित किए जाएगे। यदि किसी अकादमिक वर्ष में योग्य छात्र प्राप्त न हो, तो उस वर्ष के लिए संबंधित क्षेत्र/ संकाय के अधीन पीएच.डी पद को रिक्त रखा जाएगा।

ख) चयनित छात्रों को संस्थान द्वारा संचालित छह महीने के अंतःविषय पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा।

ग) प्रत्येक छात्र का नेतृत्व एक पर्यवेक्षक समिति द्वारा होगा जिसकी अध्यक्षता छात्र का मुख्य पर्यवेक्षक करेंगे। यह समिति 3 (तीन) वर्ष पूर्ण होने तक हर साल 6 (छह) महीने के अंतराल पर पीएच.डी छात्रों की प्रगति का आकलन करेगी।

3 साल से अधिक पीएचडी कार्यक्रम के विस्तार के लिए मूल्यांकन भी समिति द्वारा ही किया जाएगा। विस्तार अवधि के लिए मूल्यांकन भी हर साल छह महीने के अंतराल पर आयोजित किया जाएगा। संस्थान द्वारा अभिलाषित होने पर ऐसे मूल्यांकनों के लिए पर्यवेक्षण समिति बाह्य विशेषज्ञों को आमंत्रित करेगी। फैलोशिप की अधिकतम अवधि 5 वर्ष के लिए होगी।

घ) जेआरएफ के रूप में संस्थागत फेलोशिप का लाभ उठाने वाले छात्र के पास परियोजना के 2 वर्ष पूरे होने के बाद एसआरएफ हेतु पदोन्नति प्राप्त करने के लिए प्रभाव कारक 1 (एक) या उससे अधिक के साथ कम से कम एक पेपर होना चाहिए, अन्यथा उन्हे जेआरएफ के रूप में ही अपना शोध कार्य जारी रखना होगा। यदि किसी छात्र का कोई पेपर 2 साल और 6 महीने के भीतर किसी इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में प्रकाशित होने हेतु स्वीकार्य हो जाता है, तो उसे तीसरे वर्ष की शुरुआत से ही एसआरएफ की बकाया फैलोशिप प्राप्त होगी। आगे, यदि उसे 3 वर्ष के भीतर एक या एक से अधिक प्रभाव कारक पत्रिका में एक पेपर के प्रकाशन के लिए स्वीकृति पत्र प्राप्त हो, तो उसे तीसरे वर्ष के अंतिम 6 महीनों के लिए एसआरएफ में पदोन्नति मिलेगी।

ङ) यदि कोई पीएच.डी छात्र अपना पीएच.डी कार्यक्रम पूर्ण करने में विफल रहता है या अन्य किसी कारण से बीच में ही अपना शोध कार्य रोकना चाहता हो, तो उसे कम से कम एक महीने पूर्व अपने पर्यवेक्षक के माध्यम से संस्थान के सक्षम प्राधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी, ऐसा न करने पर उसके एक महीने की फैलोशिप काट दी जाएगी।

च) यदि आई.ए.एस.एस.टी का कोई शोधार्थी अपनी पीएच.डी अवधि के दौरान किसी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे उचित माध्यमों से ही आवेदन करना होगा।

छ) शोध अवधि के मध्य पीएच.डी शोधार्थियों को अनुरोध किए जाने पर अनुभव प्रमाणपत्र संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा ही दिया जाएगा। प्रमुख प्रमाणपत्र पीएच.डी कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात ही संस्थान के कुलसचिव द्वारा दिया जाएगा, केवल अनुरोध पर।

ज) एक पीएचडी छात्र को अपने पीएचडी कार्यक्रम के दौरान तीन उच्च मानक (अकादमिक समिति द्वारा तय किए जाने वाले) सेमिनार/ कार्यशालाओं/ सम्मेलनों में अपने शोध निष्कर्षों की प्रस्तुति का अवसर प्राप्त होगा और सम्मेलन में भाग लेने हेतु कोर निधि समर्थन उपस्थिति दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित किया जाएगा। हालांकि, किसी भी शोधार्थी को राज्य के बाहर सेमिनार/ कार्यशालाओं में भाग लेने का अवसर पीएचडी कार्यक्रम के पहले वर्ष के पूरा होने के बाद ही प्राप्त होगा।

झ) पीएच.डी छात्रों को अपने प्रयोगों की प्रासंगिकता के आधार पर राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए चुने जाएंगे। प्रत्येक छात्र द्वारा अपने पीएचडी कार्य की पूरी अवधि के दौरान अधिकतम दो ऐसे प्रशिक्षण/ परामर्श सत्रों का लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

3. आई.ए.एस.एस.टी के बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं के शोधार्थियों/ तकनीकी जनशक्ति निर्मित विनियम:

क) संस्थान पीएचडी कार्यक्रम में पंजीकरण करने के लिए बाह्य रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं (ईएफपी) के जूनियर रिसर्च फैलो को प्रोत्साहित करता है। हालांकि, इन ईपीएफ- जेआरएफ पीएच.डी छात्रों की छात्रवृति परियोजना अवधि के दौरान उनका पारितोषिक होगा। यदि इनकी पीएच.डी डिग्री परियोजना की अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो वह कोर बजट के अधीन जेआरएफ-पीएचडी की रिक्ति के लिए पूर्व कार्याधीन पीआई के अंतर्गत आवेदन कर सकते है। यदि संबंधित वैज्ञानिक/ पीआई के आवंटित कोटा के तहत जेआरएफ के लिए कोई रिक्ति नहीं है, तो वैज्ञानिक के साथ काम करने वाले केवल एक ईएफपी-जेआरएफ को अधिकतम 5 साल के भीतर पीएचडी पूरा करने की अनुमति होगी। अन्यथा उन्हे तभी संस्थागत फैलो मिलेंगे जब उनके कोटा में रिक्ति उपलब्ध होगी।

ख) परियोजनाओं के तहत रहने वाले शोधार्थी अपना पीएच.डी शोध कार्य बाह्य वित्त पोषित परियोजना के विषयों पर ही करेंगे।

ग) ईएफपी के तहत फंड का प्रवाह कई बार अनिश्चित आ जाती है, इसलिए पीआई की जिम्मेदारी होगी कि वह फंडिंग एजेंसी से सुगम फंड फ्लो और छात्रों की छात्रवृति सुनिश्चित करे। संस्थान केवल परियोजना के पीआई द्वारा यह सुनिश्चित करने पर कि परियोजना निधि प्राप्त होने पर लिए गए पैसे संस्थान को लौटा देगी, ऋण के तौर पर उस अवधि का लिए शोधार्थियों को छात्रवृति देने पर विचार करेगी। इस अंडर्टेकिंग के एक पैरा में यह भी लिखा होगा कि यदि फंडिंग एजेंसी से फंड प्राप्त नहीं होता है, तो दिए गए ऋण को किस्त के आधार पर संबंधित पीआई के वेतन से समायोजित किया जाएगा।

घ) कुछ उभरते हुए परिदृश्य में, जहां ईएफपी परियोजना फैलो पीएचडी कार्यक्रम के पहले या दूसरे वर्ष पूर्ण होते ही अपना शोध कार्य छोड़ देते हैं। हालाँकि, ऐसी परिस्थिति में नए नियुक्त फैलो पीएचडी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसे/ उसके पीएचडी कार्यक्रम की शेष अवधि के दौरान कोई कोर बजट समर्थन प्राप्त नही होगा, परियोजना वित्तपोषण समाप्त होने के पश्चात।

4. शोधार्थियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं:

केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार वर्तमान दर ₹125/- रुपये प्रति माह (अंशदान की दर समय-समय पर बदल सकती है) के सदस्यता योगदान के भुगतान पर सभी शोधार्थियों (केवल स्वयं के लिए) को चिकित्सा सुविधा दी जाएगी जो अनिवार्य है।

5. इंस्पायर संकाय/ रामलिंगस्वामी फैलो एवं अन्य राष्ट्रीय फैलोशिप जैसे महिला वैज्ञानिक योजना, डीबीटी- पीडीएफ तथा रामानुजन फैलोशिप के क्रियान्वयन संबंधी नियम:

आई.ए.एस.एस.टी पीएचडी डिग्री वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उपर्युक्त फैलोशिप कार्यक्रमों के तहत संबंधित फंडिंग एजेंसियों के माध्यम से आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करता है। हालांकि, ऐसे आवेदन डीएसटी, भारत सरकार की अग्रिम संस्तुति से संस्थान में कठिन स्क्रीनिंग प्रक्रिया द्वारा ही लिए जाएंगे। पूर्व स्क्रीनिंग प्रक्रिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित पर ध्यान देगी:

क) इच्छुक उम्मीद्वार के शोध का क्रम आई.ए.एस.एस.टी में पहले से ही मौजूदा शोध डोमेन पर आधारित होनी चाहिए।

ख) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे संकाय/ फैलो को प्रतिग्रहित करने के इच्छुक विशिष्ट डिवीजन में मौजूदा प्रयोगशाला सेटअप और स्थान पर्याप्त हैं। इच्छुक उम्मीदवार को अतिरिक्त प्रयोगशाला निर्माण के लिए कोई अतिरिक्त प्रवधान नहीं दिया जाएगा।

ग) स्वीकृत फैकल्टी/ फेलो को एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद ही शोध प्रशिक्षण एवं दौरे के लिए सम्मेलनों को छोड़कर विदेशी यात्रा/ प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी, संकाय/ फैलोशिप कार्यक्रम प्रावधान के अनुसार।

घ) स्वीकृत संकाय/ फैलो द्वारा नौकरी/ विदेश यात्रा/ अनुसंधान अनुदान के लिए कोई भी आवेदन उचित माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ङ) स्वीकृत संकाय/ फैलो को आई.ए.एस.एस.टी के सभी नियमों और विनियमों का तथा फैलोशिप/ स्कीम के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

6. कोर निधि से अकादमिक/ तकनीकी कर्मचारियों के लिए प्रकाशन शुल्क की प्रतिपूर्ति से संबंधित नियम और विनियम:

क) केवल संकाय और तकनीकी अधिकारी ही प्रकाशन शुल्क की प्रतिपूर्ति की पात्रता के योग्य होंगे, छात्र नहीं।

ख) प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष स्कोपस के अनुसार, कम से कम 1 प्रभाव कारक वाले पत्रिका में प्रकाशित होने वाले केवल एक प्रकाशन शुल्क आधिकतम ₹10000/- (रूपए दस हजार मात्र) की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

ग) कुछ विशेष मामलों में, जहां प्रकाशित जर्नल या तो उच्च प्रभाव कारक (>4) वाले हो या ओपन एक्सेस हेतु उपलब्ध हो, के ₹100000/- (रूपए एक लाख मात्र) तक के प्रकाशन शुल्क का भुगतान संस्थान द्वारा किया जाएगा। विशेष मामलों पर विचार मामला दर मामला (प्रभाव कारक थोड़ा कम <4 या बहुत अधिक प्रभाव कारक लेकिन प्रकाशन शुल्क एक लाख से अधिक है) किया जाएगा, जिसका निर्णय अकादमिक समिति द्वारा तय किया जाएगा।

7. आई.ए.एस.एस.टी के अकादमिक स्टाफ के पीएच.डी गाइडशिप हेतु विनियम:

आई.ए.एस.एस.टी के वैज्ञानिकों का पीएच.डी गाइडशिप का आवेदन उचित माध्यमों के द्वारा दिया जाना चाहिए। गाइडशिप के सभी आवेदन निदेशक को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। प्रवेश स्तर के सहायक प्रोफेसर को आई.ए.एस.एस.टी में निवास अवधि के एक वर्ष पूरा होने के बाद गाइडशिप के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, ऐसे सहायक प्रोफेसर के

मामले में जिनकी उपलब्धियां उत्कृष्ट है तथा संबंधित क्षेत्र में संचयी प्रभाव कारक 10 उससे अधिक के संस्करण के साथ प्रकाशन उपलब्ध है उन्हें मौजूदा नियमों के तहत पीएचडी गाइडशिप के लिए उपयुक्त माना जा सकता है।

8. विदेश यात्रा से संबंधित विनियम:

क) तीन वर्ष में मात्र एक बार एक स्वीकृत पत्र की प्रस्तुति के उद्देश्य से विदेशी यात्रा (यात्रा भत्ते के अलावा) को कोर बजट से समर्थित किया जाएगा। वैज्ञानिकों द्वारा विदेश में ऐसी किसी भी यात्रा के लिए टीए को फंडिंग एजेंसियों से प्राप्त किया जाना चाहिए।

ख) सामान्यतः संस्थान देश-विदेश में आयोजित संगोष्ठी/ कार्यशाला के तकनीकी सत्र में व्याख्यान देने या तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रण किए जाने की स्थिति में वैज्ञानिकों/ तकनीकी अधिकारियों द्वारा मांगे गए वित्तीय सहयोग को मंजूरी नहीं देगा। तथापि, ऐसी परिस्थिति में जब आई.ए.एस.एस.टी के किसी वैज्ञानिकों के उच्च गुणवत्ता वाले शोधलेख प्रभाव कारक 5 या उससे अधिक के जर्नल में प्रकाशित हुए हो, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी/ कार्यशाला के आयोजकों से आमंत्रण मिल सकता है। ऐसे मामलों में, यात्रा भत्ते (टीए) के अलावा होने वाले अन्य व्यय को संस्थान द्वारा समर्थित किया जाएगा। यात्रा भत्ते की व्यवस्था आयोजकों या अन्य फंडिंग एजेंसियों द्वारा करवाई जानी होगी।

ग) वैज्ञानिक/ अकादमिक समिति के सदस्य बनने के लिए संकायों को अधिकतम ₹7000/- रुपए प्रति वर्ष का समर्थन प्राप्त होगा, अपने पूर्ण सेवा अवधि में एक वैज्ञानिक कुल तीन ऐसी समितियों की सदस्यता ग्रहण कर सकता है।

9. बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं हेतु विनियम:

संस्थान वैज्ञानिकों को प्रशासनिक नियमों/ दिशानिर्देशों के माध्यम से, संस्थान के शोध उद्देश्य एवं क्षेत्रों के दायरे को ध्यान में रखते हुए, बाह्य अनुसंधान अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

क) सर्वथा पूर्ण प्रस्तावित परियोजनाओं को संस्थान की अकादमिक समिति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यदि सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक लगे तो उस क्षेत्र के विशेषज्ञों से भी सलाह ली जाएगी या उन्हें प्रस्तुति के समय आमंत्रित किया जाएगा।

ख) पीआई को ऐसी परियोजनाएं फंडिंग एजेंसियों में जमा करने की अंतिम तिथि से कम से कम 10 (दस) दिन पहले अकादमिक समिति को मूल्यांकन किए जाने हेतु दी जानी चाहिए।

ग) इसके बाद, परियोजना प्रस्ताव को आधिकारिक तौर पर फंडिंग एजेंसी को भेज दिया जाएगा।

घ) यदि परियोजना स्वीकृत हो जाती है, तो परियोजना के तहत पीएचडी जेआरएफ/ एसआरएफ को पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि, उनकी पीएच.डी फैलोशिप परियोजना के अंत तक ही रहेगी। परियोजना अवधि समाप्त होने के बाद इन ईएफपी-जेआरएफ छात्रों के पीएच.डी कार्य के प्रति संस्थान का कोई दायित्व नहीं रहेगा। इससे संबंधित एक औपचारिक समझौता परियोजना में नियुक्ति से पूर्व ही जेआरएफ/ एसआरएफ शोधार्थी के साथ किया जाएगा। यह नियम उपर्युक्त बिंदु संख्या 3 (क) के साथ मेल नहीं खाता।

ङ) ईएफपी- जेआरएफ पीएचडी छात्रों को पीएचडी अनुसंधान प्रगति मूल्यांकन, एसआरएफ के उन्नयन और प्रकाशन मानक के संबंध में समान शैक्षणिक नियमों और विनियमन द्वारा प्रशासित किया जाएगा।

च) केंद्रीय परियोजना निधि के समय पर रिलीज न होने निमित्त कोर फंड का उपयोग करके रसायनों की खरीद के लिए परियोजनाओं के पीआई द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। कोर निधि से रसायनों की खरीद या जेआरएफ के लिए वेतन का भुगतान तभी मान्य होगा जब फंडिंग एजेंसी द्वारा फंड रिलीज संबंधी आदेश आई.ए.एस.एस.टी को प्राप्त होगा। फंडिंग एजेंसी से लिखित आदेश की प्रति के बिना खरीद अनुरोध के लिए प्राप्त आवेदन के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में भी क्रय की अनुमति दी जा सकती है जब कोई पीआई यह आश्वासन देता है कि यदि फंडिंग एजेंसी परियोजना को बंद कर देती है और धन जारी नहीं करती है तो वह क्रय संबंधी भुगतान व्यक्तिगत रूप से करेगा।

10. पीएच.डी छात्रों से संबंधित अन्य नियम:

क) संस्थान किसी भी पीएच.डी शोधार्थी के प्रवेश के लिए ऊपर सूचीबद्ध प्रक्रिया तथा संबद्ध विश्वविद्यालय के साथ पंजीकरण के अलावा अन्य किसी प्रक्रिया को मान्य नहीं मानता।

ख) समय-समय पर, आई.ए.एस.एस.टी के पीएचडी छात्रों को अपने पीएचडी शोध के तहत विदेश में कम अवधि (3 से 6 महीने) के लिए विदेशी संस्थान/ विश्वविद्यालय से टोकन वित्तीय सहायता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में छात्र को प्रशिक्षण अवधि के दौरान कोर निधि से छत्रवृति प्राप्त होती रहेगी। ईएफपी शोधार्थियों के मामलों में जो पीएच.डी में पंजीकृत है और परियोजना निधि से भी फैलोशिप प्राप्त करते है उनके छात्रावृति की स्वीकार्यता फंडिंग एजेंसी द्वारा संचालित नियमों और विनियमों पर निर्भर करेगी।

11. ग्रीष्मकालीन छात्रों और बी.टेक, एम.टेक छात्रों के लघु अवधि/ छह महीने के परियोजना कार्य संबंधित नियम:

आई.ए.एस.एस.टी छात्रों और पर्यवेक्षक वैज्ञानिकों के पारस्परिक लाभ के लिए ग्रीष्मकालीन छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।

क) इस तरह के कार्यक्रम दो (2) से छह (6) महीने की अवधि के हो सकते हैं। छह महीने की अवधि का कार्यक्रम एम.एससी और एम.टेक छात्रों के लिए है, जो संस्थान में चल रहे किसी भी शोध विषय में परियोजना करना चाहते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के लिए:

i. इच्छुक छात्र उचित माध्यम से निर्धारित प्रारूप में निदेशक को आवेदन करेगा,

ii. छात्र अपने आवेदन के साथ प्रस्ताव में उस वैज्ञानिक (वेबसाइट में उपलब्ध) का नाम दे सकता है जिसके साथ वह कार्य करना चाहता है।

iii. छह महीने की अवधि के दौरान शामिल प्रशासनिक व्यय को कवर करने के लिए ऐसे परियोजना कार्य के लिए ₹5000/- (रुपए पांच हजार मात्र) का शुल्क छात्र द्वारा देय होगा।

iv. ऐसे छात्रों के लिए हॉस्टल आवास लागत (यदि आवश्यक हो) आई.ए.एस.एस.टी हॉस्टल नियमों द्वारा शासित होगी।

v. किसी भी समय, आई.ए.एस.एस.टी के एक प्रभाग में वैज्ञानिक के लिए केवल 1 (एक) प्रशिक्षु छात्र अधिकृत होगा।

ख) बी.एससी, बी.टेक और एम.एससी छात्रों के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण

लघु अवधि प्रशिक्षण एक (1) से तीन (3) महीने की अवधि के लिए होगा।

i. इच्छुक छात्रों को निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरे हुए आवेदन के साथ आई.ए.एस.एस.टी के निदेशक को अपना आवेदन पत्र भेजना होगा।

ii. जिस विषय पर छात्र अपना शोध प्रशिक्षण लेना चाहता है उसपर वह एक संक्षिप्त प्रस्ताव लिखेगा।

iii. निजी संस्थान/ विश्वविद्यालय के छात्रों की अपेक्षा सरकारी संस्थान/ विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

iv. वैज्ञानिक के साथ किसी भी समय केवल 2 (दो) ऐसे प्रशिक्षु छात्र होंगे।

v. इसमें ₹1000/- (रुपए एक हजार मात्र) का प्रशिक्षण शुल्क और ऐसे छात्रों (यदि आवश्यक हो) के लिए छात्रावास के आवास की लागत आई.ए.एस.एस.टी के हॉस्टल नियमों द्वारा शासित होगी।

vi. छात्रों का चयन योग्यता और प्रस्तावित प्रशिक्षण विषय की सामर्थ्य के आधार पर होगा।

12. प्रतिभाशाली शोध छात्रों के लिए विशेष फैलोशिप संबंधी विनियम:

गुणवत्ता अनुसंधान के हित में, संस्थान पीएचडी वाइवा (5 वर्ष की समय सीमा के भीतर) के बाद भी मेधावी शोध छात्र को कोर निधि से वित्तीय सहायता देते हुए अपना शोध कार्य जारी रखने की अनुमति दे सकता है निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के आधार पर:

i. उनके पास 10 या उससे अधिक का संचयी प्रभाव कारक होना चाहिए, उनके पीएचडी शोध से प्रत्येक प्रकाशन के साथ प्रभाव कारक 1 या उससे ऊपर पीएचडी वाइवा के दौरान।

ii. वह कोर निधि से इस फैलोशिप के लिए आवेदन कर सकते है और उनके पीएचडी कार्यक्रम में शामिल होने की तारीख से 5 साल तक पीएचडी वाइवा वॉइस परीक्षा की अवधि के लिए उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा।

iii. इन शोधार्थियों को कोर निधि से फैलोशिप प्राप्त करने हेतु इस अवधि के दौरान किए जाने वाले प्रस्तावित शोध कार्य को अकादमिक समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

iv. इस तरह के फैलोशिप की अधिकतम अवधि 1 वर्ष होगी (यानी, प्रत्येक 6 महीने में अधिकतम दो एक्सटेंशन) या 5 साल की कुल अवधि के लिए आई.ए.एस.एस.टी में फेलोशिप पूरा करने तक।

v. शोधार्थी को इस विस्तारित अवधि के शोध कार्य को उच्च गुणवत्ता वाले जर्नल में प्रकाशित करना होगा, अनिवार्यतः प्रभाव कारक 2 या उससे अधिक वाले संस्करण में।